न्यायालय सिविल जज (क0प्र0) इगलास, अलीगढ़।

मूलवाद सं0–167/22

सी0एन0आर0 सं0–यू.पी.ए.एल.18002758–22

विजेन्द्र बाबू बनाम रामवीर सिंह आदि

24–08–23

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय अधिवक्ता उपस्थित।

वादी की ओर से प्रार्थनापत्र अ0आदेश–23 नियम–1 सी0पी0सी इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत वाद में पक्षकारों में समझौता हो गया है। वादी उक्त वाद को लड़ना नही चाहता है तथा वापस लेना चाहता है। अतः वाद को इसी स्तर पर वापस किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

वादी का कथन है कि प्रस्तुत वाद में पक्षकारों में समझौता हो गया है। वह उक्त वाद को लड़ना नही चाहता तथा वापस लेना चाहता है। वादी बिजेनद्र बाबू के हस्ताक्षर की शिनाख्त उसके अधिवक्ता श्री संजय कुमार उपाध्याय एडवोकेट द्वारा की गयी है। अतः ऐसी स्थिति में वादी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र अ0आदेश–23 नियम–1 सी0पी0सी0 दिनांकित–24–08–23 स्वीकार किया जाता है। वादी को वाद वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज(क0प्र0)इगलास,
अलीगढ़।
आई0डी0सं0–यू0पी0–2457

Digitally signed by NITIN KUMAR RATHI
Date: 2023.08.24 16:04:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court